न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2005/642/धौलपुर

1. मोहन पुत्र श्री शंकर
2. खिल्लो पुत्र श्री शंकर
3. सेठ पुत्र श्री फद्दी
4. करनसिंह पुत्र श्री मोहन
5. ईश्वरी पुत्र श्री मोहन
6. निरंजन पुत्र श्री खिल्ली

अकवाम भोई, निवासीगण ओडेला, तहसील व जिला धौलपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. भन्ता पुत्र श्री कन्हैया
2. मुन्ना पुत्र श्री ग्यासी

कौम भोई, निवासीगण ग्राम ओडेका, तहसील व जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य
श्री नत्थू राम, सदस्य

उपस्थित

श्री ओकारलाल दवे, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जगदीश प्रसाद माथुर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांक : 7–6–2019.

1. यह अपील भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (जिसे आगे **"प्रथम अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–2000 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पो0 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व प्रतिवादीगण/अपीलांट्स उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर (जिसे आगे **"विचारण न्यायालय"** कहा जायेगा) के यहॉ इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख.नं. 336 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम ओडेला, तहसील धौलपुर में स्थित है जो वादीगण की आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी है। वर्तमान में भी खातेदार काश्तकार के रूप में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई अधिकार एवं स्वत्व नहीं है एवं वादीगण को बिना वजह भूमि से बेदखल करना चाहते है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने का अधिकारी है । अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई द्वामी पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी में कब्जा नहीं करे, न ही काश्त करने से रोके। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर उपस्थित हो जवाब–दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि वादीगण विवादित आराजी पर काबिज न होने के कारण उक्त वाद पत्र मेन्टेनेबिल नहीं है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 336 का साबिक ख.नं. 553 था, को हरिबिलास पुत्र श्री मला ब्राह्मण, निवासी कायथपाडा, धौलपुर से वीदगण के पिता श्री कन्हैया ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बाबा व प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता व 4 लगायत 6 के परबाबा फद्दी ने संवत् 2007 में हमेशा के लिये काश्त पर बहिस्सा बराबर हासिल किया था और जब से ही कन्हैया व फद्दी विवादित आराजी के निस्फ निस्फ हिस्से पर काश्त कर रहे थे और उनके मरने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में विवादित आराजी पर कन्हैया का नाम दर्ज हो गया जिसके बाबत कन्हैया ने एक तहरीर फद्दी के हक में दिनांक 15.07.57 को गवाहान के समक्ष दी थी जिसमें उसने फद्दी को 1/2 हिस्से का खातेदार स्वीकार किया गया तथा मौके पर खेत को बांट लिया।

प्रतिवादीगण विवादित आराजी का 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है इसलिये वह काउन्टर क्लेम के जरिये 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं बटवारा कराने के हकदार है। अतः दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण के हक में काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाई जावे। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद पत्र तथा जवाबदावे के अभिकथनों के आधार पर चार तनकियात कायम की गई। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2046–49 प्रदर्श–1 तथा मौखिक साक्ष्य में भन्ता पीडब्ल्यू–1 के बयान कराये तथा प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में असल इकरारनामा प्रदर्श–डी–1 तथा मौखिक साक्ष्य में मोहन डीडब्ल्यू–1, बदन सिंह डीडब्ल्यू–2, कन्हैया डीडब्ल्यू–3, दौलतराम डीडब्ल्यू–4 एवं मन्ना डीडब्ल्यू–5 के सशपथ बयान दर्ज कराये । विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2000 के द्वारा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण ने प्रथम अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत की जो दिनांक 18.12.2004 को अस्वीकार कर दी गई जिससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा वादीगण ने तनकी संख्या 1 बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं जब कि इसके विपरीत प्रतिवादी ने इकरारनामा दिनांक 15–7–59 प्रस्तुत किया व मौखिक शहादात से संदेह से परे साबित करवाया फिर भी परीक्षण न्यायालय ने यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जो विधिसममत नहीं है । इन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी का काउन्टर क्लेम स्पष्ट कथनों पर आधारित था कि विवादित आराजी हरबिलास पुत्र मला से वादीगण के पिता कन्हैया प्रतिवादीगण के बाबा व परबाबा फद्दी ने संवत 2007 में हमेशा

हमेशा के लिए काश्त पर बहिस्सा बराबर हासिल की थी व तब से ही वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसके बाबत कन्हैया ने एक इकरारनामा फद्दी के हक में दिनांक 15–7–59 को किया था जिसमें उसने फद्दी के 1/2 हिस्सेका काश्तकार होना स्वीकार किया था परंतु वादीगण केवल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने के कारण कब्जा करना चाहते हैं । विचारण न्यायालय ने उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया क्योंकि कब्जे काश्त के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि इकरारनामा फर्जी है व बाद में बनाया गया है । यदि यह इकरारनामा सही होता तो इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में होता साथ ही इकरारनामा से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इन्होंने आगे कथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स राजस्व रिकार्ड के अनुसार रेकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा उन्हीं का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. विचाराधीन प्रकरण में वादीगण का वाद इस आधार पर था कि वे विवादित भूमि खसरा नंबर 336 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा ग्राम ओडेला तहसील व जिला धौलपुर के रेकार्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि से कोई अधिकार नहीं है परन्तु वे इस पर कब्जा करना चाहते है तथा इस आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा चाही है । प्रतिवादीगण ने यह कथन किया है कि यह भूमि हरबिलास पुत्र मला की भूमि थी जिसे वादीगण के पिता कन्हैया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बाबा व प्रतिवादी संख्या 3

के पिता व 4 लगायत 6 के परबाबा संवत 2007 में हमेशा हमेशा काश्त पर बहिस्सा बराबर काश्त हेतु ली थी तथा तभी से दोनों पक्ष 1/2–1/2 हिस्से पर काश्त कर रहे हैं । प्रतिवादीगण का कथन था कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अकेले कन्हैया के नाम दर्ज दर्ज हो गई तथा इस आधार पर इन्होंने काउन्टर क्लेम में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार करवाने व बंटवारा करवाने का अनुतोष चाहा है । विचारण न्यायालय ने वाद वादीगण डिक्री किया है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया है जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील खारिज हुई है जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

8. प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–पी–1 जो जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 में विवादित भूमि भन्ता व ग्यासी पि0 कन्हैया कौम जाट सा0 देह खातेदार के रूप में दर्ज है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीगण रेकार्डेड खातेदार है । प्रतिवादीगण का मुख्य आधार प्रदर्श–डी–1 इकरारनामा है । इस इकरारनामें में यह कथन किया गया है कि यह भूमि कन्हैया व फद्दी दोनों ने मिलकर हमेशा हमेशा के लिए काश्त पर ली है । प्रतिवादीगण का कथन है कि वह इस इकरारनामें के आधार पर विवादित भूमि पर काबिज है । यह इकरारनामा दोनों पक्षों ने किस हैसियत से लिखा है स्पष्ट नहीं है क्योंकि विवादित भूमि तत्समय हरबिलास पुत्र मला से वादीगण के पिता कन्हैया के नाम दर्ज किए जाने का उल्लेख किया है तथा इस इकरारनामें से तो सिर्फ यह ज्ञात होता है कि कन्हैया व फद्दी ने यह भूमि हमेशा हमेशा के लिए 1/2–1/2 हिस्सेकाश्त पर ली है । इस भूमि पर खातेदारी अधिकार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है न ही कन्हैया व फद्दी के इस इकरारनामें से विवादित भूमि में कोई अधिकार प्राप्त होते हैं । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विवादित भूमि कन्हैया के नाम राजस्व रिकार्ड में

दर्ज है जो वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने यह तो कथन किया है कि विवादित भूमि कन्हैया के नाम दर्ज हुई थी परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब दोनों पक्ष काश्त करते थे तो विवादित भूमि अकेले कन्हैया के नाम कैसे दर्ज हुई जब कि कन्हैया के वारिसान का विवादित भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना प्रमाणित है । प्रतिवादीगण का यदि कब्जा था तो लगातार कब्जे के संबंध में वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते थे क्योंकि वर्ष 1976 तक खसरा गिरदावरियां काश्तकार के नाम होती रही हैं तथा ऐसी पुरानी गिरदावरियों के माध्यम से वे अपना कब्जा प्रमाणित कर सकते थे । प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वादीगण के रेकार्डेड खातेदार होने के कारण उनका वाद स्वीकार किया है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया है जो विधिसम्मत है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की है । इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज 2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

> Second appeal - Relief cannot be granted merely on equitable grounds - Concurrent finding of facts however erroneous - Cannot be interfered with.
>
> RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act 1955 - Section 224 read with Section 100, Code of Civil Procedure 1908 - Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this second appeal unless it is found that the findigs recorded are illegal or perverse in nature, till then this court should not disturb the concureent findings recorded by the Court

below as held in AIR1959 S.C. page 57- Hence this second appeal was dismissed.

इस न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में इस प्रकरण में भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । इस प्रकार यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है

(नत्थू राम)
सदस्य

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य